फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

मनीष कुमार बनाम तहसीलदार

मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट मुकदमा नम्बर 49 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
रिपोर्ट सरिश्ता होकर प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.02.2021 को पेश हो।	
19/2/2021 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2/3/2021 को पेश हो।	
02/03/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 17/3/2021 को पेश हो।	
17/3/2021 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बावजूद सम्यक तामिल अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि प्रार्थी का सही नाम मनीष कुमार पुत्र रामदेव एवं प्रार्थी की माता का सही नाम धन्नी पत्नि रामदेव है। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से गलत नाम समन्द्र पुत्र रामदेव एवं प्रार्थी की माता का नाम धन्नी पत्नि महादेव दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास, पेन कार्ड, आधार कार्ड बैंक पासबुक, एवं शैक्षणिक दस्तावेजात एवं प्रार्थी की माता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की हैं जिनमें प्रार्थी का नाम मनीष कुमार पुत्र रामदेव एवं प्रार्थी की माता का सही नाम धन्नी पत्नि रामदेव है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kuma
Date: 2021.03.29 18:00:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम समन्द्र पुत्र रामदेव एवं प्रार्थी की माता का नाम धन्नी पत्नि महादेव अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी का सही नाम मनीष कुमार पुत्र रामदेव एवं प्रार्थी की माता का सही नाम धन्नी पत्नि रामदेव है की पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास, पेन कार्ड, आधार कार्ड बैंक पासबुक एवं शैक्षणिक दस्तावेज एवं प्रार्थी की माता के मृत्यु प्रमाण पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि खाता संख्या 4 राजस्व ग्राम बणियाला पटवार हल्का महावा तह. नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नाम **समन्द्र पुत्र रामदेव एवं प्रार्थी की माता का नाम धन्नी पत्नि महादेव** के स्थान पर **मनीष कुमार पुत्र रामदेव एवं प्रार्थी की माता का नाम धन्नी पत्नि रामदेव** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2023.03.29 18:00:09 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना